राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
ऑडिट डिवीजन

क्रमांकः 5(1)वित्त/अंकेक्षण/2017 जयपुर, दिनांक 13-11-2017

परिपत्र 1/2017

विभिन्न विभागों द्वारा विशेष जांच के प्रकरण वित्त विभाग को संदर्भित किए जाते हैं। इन प्रकरणों के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न नहीं होते जिससे वित्त विभाग द्वारा विशेष जांच के संबंध में निर्णय लिया जाना संभव नहीं हो पाता। अतः सभी विभागों को निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण विभाग एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से करवाई जाने वाली विशेष जॉच के प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जावेः–

1. प्रकरण प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही भिजवाए जाए। सीधे निदेशालयों से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगें।
2. अनियमितताओं के प्रकरण में सामान्यतः सर्वप्रथम प्रारंभिक जांच करवाई जावे तथा जांच में प्रकरण गंभीर प्रकृति का पाए जाने पर ही, विशेष जांच के प्रस्ताव के साथ प्रारंभिक जांच रिपोर्ट भी संलग्न की जावे।
3. प्रारम्भिक जांच में गबन/हानि/गंभीर वित्तीय अनियमितता पाये जाने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को निलम्बित अथवा ए.पी.ओ. किया जाना उचित होगा ताकि विशेष जांच कार्य प्रभावित न हो एवं रिकॉर्ड गायब होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
4. विशेष जांच के निर्णय उपरान्त जांच दल के, संबंधित कार्यालय में पहुचने पर, विशेष जांच हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध न होने की स्थिति, अधिकांश विभागों में सामने आ रही है। इस स्थिति के कारण या तो जांच दल बिना कार्य के रहता है अथवा उन्हे वापिस बुलाना पडता है। अतः जांच के प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये कि "जांच हेतु अपेक्षित रिकॉर्ड संकलित कर सुरक्षित रख लिया गया है, जिसे अंकेक्षण दल के पहुचते ही उपलब्ध करवा दिया जायेगा।"
5. विशेष जांच किस अवधि से किस अवधि तक की कराई जानी है। जांच के बिन्दु क्या होगें आदि विवरण प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जावे।
6. वित्त विभाग को वे ही प्रकरण संदर्भित किए जावें जो गंभीर प्रकृति के हो तथा जिनमें अधिक राशि के गबन, राजकीय हानि या गंभीर वित्तीय अनियमितता की संभावना हो। छोटे एवं प्रकियात्मक कमियों वाले मामले वित्त विभाग को संदर्भित नहीं किए जावे। इनकी जांच विभागीय स्तर पर कमेटी बनाकर अथवा विभागीय आंतरिक जांच दल से करवाई जाए।

(डी.बी.गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)

1/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव.....
2. निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग/निरीक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक वित्त विभाग (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त शासन सचिव